मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 276/AS/PA/CAMP/2012 भोपाल, दिनांक 31 /10/2012
प्रति,

मुख्य अभियंता
....कछार
जल संसाधन विभाग,
....

विषयः— मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सिंचाई नियम 1974 के नियम 120 में संशोधन (कमांड क्षेत्र में एवं उससे बाहर उद्वहन द्वारा सिंचाई)।

इस विभाग की अधिसूचना क्र. 32–18–2012 मध्यम–इकतीस 665, दिनांक 22 अक्टूबर 2012 के द्वारा "म.प्र. सिंचाई नियम 1974 के नियम 120" में संशोधन किया गया हैं। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 446 दिनांक 22 अक्टूबर 2012 में प्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रति आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। यह संशोधन कमांड क्षेत्र में अथवा कमांड क्षेत्र से बाहर 10 अश्व शक्ति तक के डीजल अथवा विधुत पंप द्वारा नहर से जल उद्वहन से संबंधित है। साथ ही केवल रेगुलेटर बाल्व से नियंत्रित साइफन से सिंचाई करने एवं ट्रेक्टर चलित पंप से अनुज्ञा नहीं दिये जाने से संबंधित है। इन नियमों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करें।

संशोधित नियम 120 के प्रावधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

31/X
(मनीष सिंह)
अपर सचिव
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग,
भोपाल

पृ.क. 277/AS/PA/CAMP/2012 भोपाल, दिनांक 31 /10/2012

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मंत्रालय, भोपाल
2. सदस्य (अभियांत्रिकी) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन–59, जेल रोड,, अरेरा हिल्स, भोपाल
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल
4. आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय, जल,संसाधन विभाग, भोपाल
5. संचालक, सहभागिता सिंचाई प्रबंधन, स्वारा भवन, भोपाल
6. स्टेट डाटा सेंटर भोपाल की ओर विभागीय बेबसाइट पर लोड करने हेतु प्रेषित।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

31/X
(मनीष सिंह)
अपर सचिव
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग,
भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446] भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2012—आश्विन 30, शक 1934

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. 32-18-2012-म-इकतीस-665.—मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 92 तथा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 120 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"120. किसी भूमि पर, जो सींचे जा सकने वाले क्षेत्र में हो अथवा नहीं हो, किन्तु जिसे उद्वहन सिंचाई द्वारा प्रभावी रूप से सिंचित किया जा सकता हो तथा जिसके लिये नहर अधिकारी से लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ली, की गई हो, देय जल दर वही होगी जो कि ऐसे सींचे जा सकने वाले क्षेत्र की भूमि पर उगाई गई उसी फसल पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नहर से प्रवाह सिंचाई किये जाने पर देय हो, अर्थात् :—

(क) ऐसी भूमि जो सींचे जा सकने वाले क्षेत्र की भूमि न हो, के स्थायी धारक के आवेदन पर जल की उपलब्धता पर ही नहर अधिकारी द्वारा विचार इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि आवेदक द्वारा सिंचाई राजस्व के बकाया एवं शास्ति का, यदि कोई हो, का पूर्ण भुगतान कर दिया हो.

(ख) अधिकतम 10 अश्व शक्ति की क्षमता के एक डीजल अथवा विद्युत पंप को नहर से जल उद्वहन के लिये लगाया जाएगा.

(ग) केवल रेगुलेटर वाल्व से नियंत्रित साइफन से सिंचाई की अनुज्ञा दी जावेगी, परन्तु ट्रेक्टर चलित पंप की अनुज्ञा नहीं दी जावेगी.

(घ) प्रत्येक फसल के लिये जल का पूर्ण भुगतान, सिंचाई करार के अधीन फसल, क्षेत्र एवं सिंचाई की संख्या के लिये अग्रिम में जमा किया जाएगा तथा आवेदक को नहर अधिकारी से लिखित अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(ङ) सिंचाई करार, केवल अल्प कालावधि के लिये है.

(च) लिखित अनुज्ञा के बिना पंप द्वारा उद्वहन सिंचाई को अप्राधिकृत माना जाएगा तथा विधिक कार्रवाई की जाएगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. 32-18-2012-म-इकतीस-665.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 32-18-2012-म-इकतीस-665, दिनांक 22 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, अपर सचिव.

Bhopal, the 22nd October 2012

No. 32-18-2012-M-XXXI-665.—In exercise of the powers conferred by Section 92 and 93 of the Madhya Pradesh Irrigation Act 1931 (No. III of 1931), the State Government hereby make the following further amendment in Madhya Pradesh Irrigation rules, 1974, the same having been previously published, as required by sub section (3) of Section 92 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 120, the following rule shall be substituted, namely:-

"120. The Water rate payable on land, which is in commanded or not in commanded but could be irrigated effectively by lift irrigation and have written permission from canal officer, shall be same as the rates payable on command land, which is sown with the same crop with flow irrigation by canal under following conditions, namely :—

(a) the application of the permanent holder of land which is not in command is considered only on availability of water by canal officer subjected that the applicant has remitted the arrears and penalties of irrigation revenue in full if any.

(b) only one Diesel or Electric pump having maximum capacity of 10HP, shall be allowed for lifting water from canal.

(c) Irrigation through regulator valve controlled syphon shall be allowed only but tractor operated pump shall not be allowed.

(d) the full payment of water for each crop season shall be deposited in advance for crop, area and number of watering under irrigation agreement and applicant to have obtain written permission from canal officer.

(e) the irrigation agreement is only for a short term period.

(f) without written permission lift irrigation by pump shall be considered unauthorized and legal action shall be taken.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANISH SINGH, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.